14/5/24

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर
वकील प्रार्थी को अप्रार्थियों की नोटिस
पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर दिया जा चुका
है लेकिन पर्याप्त अवसर दिये जाने के
बावजूद भी आज तिथि तक नोटिस
तामील नहीं की अतः प्रार्थी का आवेदन
अन्तर्गत धारा 212 दण्ड प्रक्रिया संहिता
अधिनियम अन्तर्गत आदेश 9 नियम 5
के तहत खारिज किया जाता है पत्रावली
फैसल शुमार होकर दफ्तर के रूप होकर
दाखिल दफ्तर हो।